कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/1135/री.ए.डी.एम./2021 इन्दौर, दिनांक 20.03.2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय :– कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में (इन्दौर शहर नगर निगम, सीमा क्षेत्र) प्रत्येक रविवार लॉकडाउन बाबद

संदर्भ :– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का पत्र क्रमांक/एफ/35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2021।

—00—

रात्रि 10.00 बजें से प्रातः 06.00 बजें तक इन्दौर शहर में दुकाने एवं व्यावसायीक संस्थान बंद करने संबंधी पूर्व आदेश क्रमांक/1043/रीएडएम/2021 दिनांक 16.03.2021 को यथावत रखते हुए कोविड मरीजों की दिन–प्रतिदिन बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए, निम्न अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश दंड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत म.प्र. शासन, गृह विभाग के संदर्भित आदेश के क्रम में जारी किए जाते है–

- यह कि इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा अर्थात शनिवार की रात 10.00 बजें से सोमवार की सुबह 06.00 बजें तक निरंतर लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधी के प्रतिबंध आद्यौगिक ईकाईयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नही लगेंगे तथा आद्यौगिक ईकाईयों के कच्चे मॉल तथा तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। चिकित्सा सुविधा हेतु तथा बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड से आने–जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पी.एस.सी आदि के छात्रों को भी शहर में आने–जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी किन्तु शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी। पी.एस.सी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा हेतु, पी.एस.सी कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर ए.आई.सी.टी.एस.एल. द्वारा चलाया जा सकेंगा।
- इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे– बसों को शहर के अन्दर बाहर आने–जाने की छूट रहेगी।

District Magistrate
District Indore (M. P.)

* उक्त लॉकडाउन की अवधी में केवल बिन्दू कमांक–1 में उल्लेखित गतिविधियों के साथ–साथ समस्त अस्पताल, दवाईयों की दुकानें ही खुल सकेंगी। दूध की सप्लाई रविवार को केवल प्रातः 10.00 बजें तक की जा सकेगी।
* इन्दौर शहर की समस्त मंडियां जैसे– चौईथराम मण्डी, छावनी एवं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी तथा फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
* विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहामंडी, सीयागंज, देवास नाका आदि भी शनिवार रात्रि 10.00 बजें से सोमवार प्रातः 06.00 बजें तक पूर्णरूप से बंद रहेगे किन्तु सप्ताह के अन्य दिनों में यह ट्रांसपोर्ट नगर लोडिंग/अन–लोडिंग का कार्य रात्रि 10.00 बजें के बाद भी कर सकेंगे ताकि सप्ताह के अन्य दिनों में व्यवसायीक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि ये ट्रासपोर्ट नगर शनिवार 10.00 बजें से सोमवार सुबह 06.00 बजें तक बंद रहेंगे।
* पी.एस.सी. की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र रविवार को काफी संख्या में इन्दौर शहर में आयेगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन अथवा सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बे–रोक–टोक इन्दौर शहर मे आ/जा सकेंगे।
* समस्त कार्यपालीक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड हेतु थानावार अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ डयूटी लगी है, वह इस लॉकडाउन को रविवार प्रातः से ही प्रभावशील करेंगें।
* रविवार को समस्त क्लब, बगीचे आदि प्रातः से ही बंद रहेंगे। शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन के द्वारा नहीं कि जा सकेगी। अगर पुलिस द्वारा यह पाया जाता है कि अनावश्यक रूप से किसी के द्वारा आवाजाही की जा रही है, तो उस पर सख्त कार्यवाही की जावेगी।
* इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन अवधी (शनिवार 10.00 बजें से सोमवार प्रातः 06.00 बजें तक) में बंद रहेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा

District Magistrate
District-Indore (M.P.)

144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश दिनांक 20 मार्च 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 1136 / रीoएoडीoएमo / 2021 इन्दौर, दिनांक 20.03.2021

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate
District-Indore (M. P.)